भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2357

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

कटाव के कारण भूमि की हानि

2357. श्री खलीलुर रहमान:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में पिछले पच्चीस वर्षों के दौरान कटाव के कारण नष्ट हुई भूमि के क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल में कटाव के कारण कितनी भूमि नष्ट हुई है;

(ग) क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल में और विशेषकर मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के किनारे कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों की संख्या को दर्शाने वाला कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या देश ने पश्चिम बंगाल के साथ लगने वाली भारत-बांग्लादेश सीमा पर कटाव के कारण भूमि खोई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): देश को, पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले सहित विभिन्न भागों में अलग-अलग स्तर पर बाढ़ और कटाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा आईआईटी रुड़की के माध्यम से वर्ष 1970 - 2010 की अवधि के दौरान रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके गंगा नदी का एक रूपात्मक अध्ययन किया गया है, जिसमें मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का बैराज के 50 किमी के प्रतिप्रवाह क्षेत्र में 4289.32 हेक्टेयर क्षेत्र में कटाव और 724 हेक्टेयर क्षेत्र में अवसादन का पता चलता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच साझा सीमा नदियों में कटाव के कारण सीमा प्रभावित होती है। देश भर में कटाव के कारण क्षतिग्रस्त हुई भूमि का राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। हालांकि, भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुए नुकसान को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुष्टि प्राप्त करने के बाद केंद्रीय जल आयोग द्वारा संकलित किया जाता है। विवरण https://cwc.gov.in/sites/default/files/report-flood-damage-statistics.pdf पर उपलब्ध हैं।

*****